भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 218A/2017-18

सोनु सरदार **बनाम** थुपी सरदारीन

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
10-08-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 630 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 218A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सोनु सरदार, पिता–स्व0 सुकरा सरदार, ग्राम–किता, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता थुपी सरदारीन, पति–नाथो सरदार, ग्राम–देवगिरिसाई, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
किता	273	54	77/A	6डी0
			78/A	6.5डी0
				12.5डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 3.49 एकड़ जमीन है, जिसमें से 12.5डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.36.5 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'भूमिज', जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 12.5डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

10/8/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner